न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनील आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 02/2023 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2023/13

उनवान

1. राधा देवी पत्नी स्व0 राजेन्द्र सिंह } जाति ठाकुर नि0 दौनारी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
2. प्रियंका पत्नी संजीव कुमार }
3. कौशिक पुत्र संजीव कुमार उम्र 17 साल } नाबालिग सपरस्ती मॉ प्रियंका पत्नी संजीव कुमार
4. अन्शू पुत्र संजीव कुमार उम्र 15 साल } जाति ठाकुर नि0 दौनारी तहसील सैपऊ, धौलपुर।
5. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति ठाकुर निवासी दौनारी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
6. सुनीता पुत्री राजेन्द्र सिंह पत्नी रवीन्द्र सिंह जाति ठाकुर निवासी बिचपुरी तहसील भिण्ड जिला भिण्ड मध्य प्रदेश।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राहुल } पिस0 भरत सिंह } जाति ठाकुर निवासी दौनारी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
2. वर्षा }
3. उमेश सिंह पुत्र चरन सिंह }
4. नरेश सिंह पुत्र चरन सिंह }
5. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार सैपऊ जिला धौलपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सैपऊ दिनांक 07.07.2022 मि.नं. 114/2019 उनवानी राधादेवी बनाम भरत सिंह।

अभिभाषकगण :–

1. श्री सुरेश कटारा वकील अपीलांट उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक–24.12.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सैपऊ के निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2022 के विरूद्ध पेश की गयी है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

प्रतिवादीगण/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार वादी अपीलाण्ट संख्या 01 के ससुर अपीलाण्ट संख्या 02 लगायत 04 के बाबा एवं प्रतिवादी रैस्पो0 के पिता श्री चरन सिंह पुत्र बीधा थे। चरन सिंह साधु प्रवृति के व्यक्ति थे एवं वह दिनांक 25.11.1998 को परिवारजनो को बिना बताये घर से निकल गये एवं उनका आज दिनांक तक कोई पता नहीं है एवं ना ही कोई खोज खबर है। अतः वाद प्रस्तुत कर चरन सिंह की विवादित आराजी का स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बाबजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश व डिक्री कानून व रिकार्ड के खिलाफ है व काबिल निरस्तनीय हैं। यह है कि विवादित आराजी चरन सिंह की खातेदारी की भूमि है। चरन सिंह 7 वर्ष से अधिक समय से लापता है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, अखबार साया कराया है, गवाही करवायी है। चरन सिंह संयासी हो गया तो उसका विवादित आराजी में से हक स्वतः ही समाप्त हो गये। परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलाण्ट के दावे को खारिज करने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0 ने इकबाल दावा प्रस्तुत किया है। अपीलाण्ट व रैस्पो0 चरन सिंह के प्रथम श्रेणी के वारिस हैं। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरबीजे 2019 पेज 761, एआईआर 1967 पेज 1134, डीएनजे 2007(1) पेज 239 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अपीलाण्ट चरन सिंह को दिनांक 25.11.1998 से लापता होना कथन करते हुये उनकी खातेदारी की आराजी पर स्वयं को खातेदार काश्तकार एवं विवादित आराजी का विभाजन का दावा करते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं बयनो से स्पष्ट है कि चरन सिंह को लापता हुये कई वर्ष व्यतीत हो चुके हैं एवं किसी भी व्यक्ति द्वारा उन्हें आज दिनांक तक ना तो देखा है एवं ना ही उनके जीवित होने के तथ्य ही सामने आये हैं। परन्तु चरन सिंह का जब तक सक्षम न्यायालय से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं हो जाता तब तक राजस्व न्यायालय ना तो चरन सिंह की मृत्यु होना साबित मान सकता है एवं

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

ना ही उनकी खातेदारी की आराजी पर अपीलाण्ट को खातेदार काश्तकार घोषित कर सकता। अपीलाण्ट सक्षम न्यायालय से चरन सिंह की सिविल डेथ की घोषणा कराकर उनकी आराजी पर अपने अधिकारो की उद्घोषणा एवं बॅटवारा कराने को स्वतंत्र हैं। इस प्रकार हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में समस्त तथ्यों की जॉच उपरान्त विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। जिसमें हम हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सैपऊ के निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2022 यथावत रखें जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर